निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 17 / 2020
दायरा दिनांकः—16.03.2020
निर्णय दिनांकः—30.6.25

उनवान

1. राधेश्याम आयु 64 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जगदीश पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. रामस्वरूप पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मूलचन्द पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दीपक वर्मा— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 72 की खसरा नम्बर 45 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी लगातार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। प्रार्थी वर्तमान में कोटा रहता है तथा अपनी भूमि को पांती गुनाफे से काश्त करवाता है। वर्तमान में उक्त भूमि पर लहसुन की फसल खड़ी हुई है। अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जो प्रार्थी के कोटा रहने का फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि की पूर्व दिशा की ओर मकान बनाने के लिए प्रार्थी की भूमि में जबरन नींव खोदने पर आमादा है तथा प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं। प्रार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति है। अप्रापर्थी कम कोटा रहने का फायदा उठाकर उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर उसे बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी कम 1 अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी और प्रार्थी को अनैकानेक वाद—विवादों में उलझना पडेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम कोलुखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 72 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोलुखेडी पेश किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खाते में किसी प्रकार का कोई निर्माण नही किया गया है अप्राथीगण ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो के मध्य की मेड से 2 फीट मेड छोडकर निर्माण अपने खाते की भूमि को राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर सीमाज्ञान करवाया गया जो मिथ्या व मन गढत है अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व के कच्चे मकान को जो 25 वर्ष पूर्व बना हुआ था को ही गिरवाकर पक्का निर्माण करवाया गया है जिस पर प्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी लगातार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थीगण की भूमि है प्रार्थी वर्तमान में कोटा रहता है भूमि को पांती मुनाफे से काश्त करवाता है अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोटा रहने का फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा की ओर जबरन कबजा कर मकान की नीवं खोदने पर आमादा है तथा प्रार्थी की भूमि को अपनी में मिलना चाहतें है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी अपने खाते की भूमि में मकान निर्माण करा रहा है अप्रार्थी का लगभग 25 वर्ष पुराना मकान बना हुआ था जिसे गिरा कर नया पक्का मकान बना रहा है प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि के बीच मेंड है उस मेड से 2 फीट जगह छोड कर निर्माण किया जा रहा है प्रार्थी के खाते की भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर मकान निर्माण नही किया जा रहा है प्रार्थी द्वारा अपने खाते की भूमि की पैमाईश करवा ली गई। परन्तु प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नही है यदि सीमाज्ञान करने पर भूमि अप्रार्थीगण की भूमि निकलती तो प्रार्थी सीमाज्ञान के आधार पर कब्जा करना चाहिये था। सीमज्ञान के समय प्रार्थी की भूमि सही थी किसी भी पडौसी खातेदार के खाते में अधिक भूमि नही थी प्रार्थी द्वारा मिथ्या व कपट पूर्व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोलुखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 72 के अनुसार राधेश्याम पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र व वाद पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खाते की भूमि पर मकान निर्माण कार्य करना बताया है प्रार्थी अप्रार्थी को पाबन्द कराना चाहतें है अप्रार्थीगण का कथन है कि 25 साल पुराना कच्चा मकान था उसे तोड कर नया

का मकान बना रहे है। बिना उचित सीमा निर्धारण के अप्रार्थीगण द्वारा निमार्ण कार्य कर क्षति पहुंचाना न्यायोचित नही है। उभयपक्षकारान अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। दौराने वाद बहुलता को रोकन एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायाचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 45 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा